अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान मुद्रा वाद संख्या– 13/2015–16

कमलेश शर्मा वनाम अशोक शर्मा एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद कमलेश शर्मा, पिता– अशोक कुमार शर्मा, निवासी क्वाटर संख्या– 92/6 ए टाईप, मेघाहातुबुरू, थाना– किरीबुरू, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा दिनांक– 24.11.2015 को 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये (Declaration and recovery of money) हेतु यह मुद्रा वाद प्रतिवादी अशोक शर्मा, पिता– स्व० राम राजा शर्मा, निवासी 92/6 ए टाईप, मेघाहातुबुरू एवं जेनरल मैनेजर, (RMS), मेघाहातुबुरू, आइरन ऑर माइन्स, सेल, मेघाहातुबुरू, थाना– किरीबुरू, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। वादी कमलेश शर्मा केस दायर करने के बाद एक बार भी न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता की ओर से पैरवी नहीं करने के कारण इस न्यायालय के पत्रांक– 30/न्या० दिनांक– 22.12.2015 द्वारा अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी को नोटिस तामिला हेतु निर्गत किया गया। जिसके उपरान्त उनके पत्रांक– 11 दिनांक– 11.01.2016 द्वारा तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। वादी द्वारा नोटिस लेने के बाद भी सुनवाई हेतु निर्धारित किसी भी तिथियों पर न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए। पुनः न्यायालय के पत्रांक– 43/न्या० 28.10.2021 द्वारा उक्त अंचल में वादी से तामिला कराने हेतु अंतिम नोटिस भेजा गया। लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित 17.11.2021 को भी वादी या उनके अधिवक्ता अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

02.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

02.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2021.12.09 12:13:35 +05:30
Location: 10.93.66.37

Scanned with CamScanner